भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3706
दिनांक 12 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

डेयरी के लिए किसानों को सहायता

3706. श्री कौशलेन्द्र कुमारः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा किसानों को डेयरी चलाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(ख) पिछले पाँच वर्षों के दौरान किसानों को राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) पिछले पाँच वर्षों के दौरान सहायता प्राप्त किसानों की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत दिए गए ऋण पर किसानों से कोई ब्याज वसूल किया जा रहा है;

(ङ) क्या सरकार का अधिक दुग्ध उत्पादन वाले ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने का विचार है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किसानों से कितनी ब्याज दर वसूली जा रही है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क), (ख) और (ग) पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD), भारत सरकार दूध उत्पादन और दूध प्रसंस्करण अवसंरचना के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को अनुपूरित और संपूरित करने के लिए देश भर में निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है:

1. **राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM):** आरजीएम का कार्यान्वयन देशी नस्लों के विकास और संरक्षण, बोवाइन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन तथा बोवाइन पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए किया जा रहा है।
2. **राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD):** एनपीडीडी को निम्नलिखित 2 घटकों के साथ कार्यान्वित किया जाता है:
   (i) एनपीडीडी का **घटक 'क'** राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों/ जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों/ स्वयं सहायता समूहों (SHGs)/ दुग्ध उत्पादक कंपनियों/किसान उत्पादक संगठनों के लिए गुणवत्तापूर्ण दूध परीक्षण उपकरणों के साथ-साथ प्राथमिक शीतलन सुविधाओं हेतु अवसंरचना के सृजन/सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है।
   (ii) एनपीडीडी योजना के **घटक 'ख'** "सहकारिता के माध्यम से डेयरी" का उद्देश्य संगठित बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाकर दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री में वृद्धि करना, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना को उन्नत करना और उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि करना है।
3. **डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (SDCFPO):** राज्य डेयरी सहकारी संघों को गंभीर रूप से प्रतिकूल बाजार स्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न संकट से निपटने के लिए कार्यशील पूंजीगत ऋण पर ब्याज सबवेंशन (नियमित 2% और शीघ्र भुगतान पर अतिरिक्त 2%) प्रदान करके सहायता करना।
4. **पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF)** : एएचआईडीएफ पशुधन उत्पाद प्रसंस्करण और विविधीकरण अवसंरचना के सृजन/सुदृढ़ीकरण के लिए 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सबवेंशन प्रदान करता है, जिससे असंगठित उत्पादक सदस्यों को संगठित बाजार तक अधिक पहुंच मिलती है।

5. **राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM):** उद्यमिता विकास के लिए व्यक्ति, एफपीओ (FPOs), एसएचजी (SHGs), धारा 8 कंपनियों को उद्यमिता विकास के लिए और नस्ल सुधार अवसंरचना के लिए राज्य सरकार को प्रोत्साहन प्रदान करके पोल्ट्री, भेड़, बकरी, सूअर पालन और चारा में उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार पर सघन ध्यान केंद्रित करना।
6. **पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP):** इसका उद्देश्य पशु रोगों के लिए रोगनिरोधी टीकाकरण, पशुचिकित्सा सेवाओं की क्षमता का निर्माण, रोग निगरानी और पशुचिकित्सा अवसंरचना को सुदृढ़ करना है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के अंतर्गत पशु औषधि का एक नया घटक जोड़ा गया है ताकि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (PM-KSK) और सहकारी समितियों के माध्यम से देश भर में सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा औषधि उपलब्ध कराई जा सके। इससे सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक औषधियों के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा।

   ये योजनाएँ बोवाइन पशुओं की दुग्ध उत्पादकता में सुधार करने , डेयरी सहकारी समितियों के नेटवर्क का विस्तार करने, डेयरी अवसंरचना को सुदृढ़ करने, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, चारे की उपलब्धता बढ़ाने और पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सहायक हो रही हैं। ये पहलें दुग्ध उत्पादन की लागत को कम करने और डेयरी फार्मिंग से दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने में भी सहायक हैं।

   हालांकि, इन योजनाओं के अंतर्गत किसानों को कोई प्रत्यक्ष निधियां उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं; उपर्युक्त के अनुसार डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना और सेवा-आधारित पहलों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) और (ङ) डीएएचडी निम्नलिखित की स्थापना के लिए डेयरी और पशुधन क्षेत्र में व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों (FPO) और धारा 8 कंपनियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के तहत पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) को कार्यान्वित कर रहा है:

i. डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना,
ii. मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना,
iii. पशु आहार संयंत्र,
iv. नस्ल सुधार तकनीकी और नस्ल वृद्धि फार्म
v. पशु अपशिष्ट से संपत्ति प्रबंधन (कृषि अपशिष्ट प्रबंधन)
vi. पशु चिकित्सा टीका और औषधि निर्माण सुविधाओं की स्थापना

योजना के अंतर्गत उपलब्ध प्रमुख लाभ

i. पात्र लाभार्थियों द्वारा व्यवहार्य परियोजनाओं के प्रस्तुतीकरण के आधार पर अनुसूचित बैंक से अनुमानित/वास्तविक परियोजना लागत के 90% तक ऋण।
ii. सभी पात्र संस्थाओं को प्राप्त ऋण पर 3% का ब्याज सबवेंशन, ऋण पर ब्याज दर अलग-अलग बैंकों के लिए अलग-अलग होती है।
iii. अधिकतम भुगतान अवधि: मूल राशि पर 2 वर्ष की ऋणस्थगन अवधि सहित 8 वर्ष।

इसके अतिरिक्त, एनपीडीडी घटक ख के अंतर्गत, दुग्ध संघों/बहु-राज्य डेयरी सहकारी समितियों/राज्य डेयरी परिसंघों/दुग्ध उत्पादक कंपनियों और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों द्वारा बनाए गए एसएचजी क्लस्टर परिसंघों को दूध खरीद अवसंरचना, दूध प्रसंस्करण सुविधाओं और विनिर्माण सुविधाओं (दूध और दूध उत्पाद तथा गौपशु चारा) को सुदृढ़ करने, विपणन अवसंरचना के लिए सहायता, आईसीटी अवसंरचना के लिए सहायता हेतु 1.5% प्रति वर्ष की सब्सिडी दर पर ऋण प्रदान किया गया है। यह योजना 9 राज्यों नामत: बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित की जा रही है।

(च) उपरोक्त (घ) और (ड़) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता ।

****